



## SPICES BOARD

(Ministry of Commerce and Industry  
Government of India)

Sugandha Bhavan

N.H. By-pass

P.B. No. 2277

Palarivattom P.O.

Cochin - 682 025, India

## स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,

भारत सरकार)

सुगन्ध भवन

एन. एच. बाइपास

पी. बी. नं. 2277

पालारिवट्टम पी.ओ.

कोचिन - 682 025, भारत

परिपत्र संख्या: 6/2021-22

28 सितंबर, 2021

**विषय:** जापान सरकार द्वारा खाद्य उत्पादों के लिए पूर्व पुष्टिकरण प्रणाली शुरू की गई-बाबत

स्पाइसेस बोर्ड को भारत के टोक्यो, जापान के दूतावास के माध्यम से आयात खाद्य सुरक्षा, खाद्य निरीक्षण और सुरक्षा प्रभाग, स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय (MHLW), जापान के कार्यालय से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें यह सूचित किया गया है कि कुछ निर्यातक देशों से जापान में आयात किए गए खाद्य पदार्थों को पूर्व पुष्टि के अधीन किया गया है और उन्हें पूर्व पुष्टिकरण प्रणाली के तहत लाया गया है।

तदनुसार, खाद्य निर्माताओं को 29 जून, 2021 से आवश्यक पंजीकरण या नवीनीकरण प्राप्त करना आवश्यक है। प्रणाली के कार्यान्वयन की तारीख से प्रभावी पंजीकरण की अनुमति जारी रहेगी और नए पंजीकरण या पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए एक आवेदन की आवश्यकता होगी। एमएचएलडब्ल्यू द्वारा जारी अधिसूचना का अनौपचारिक अनुवाद तत्काल संदर्भ के लिए संलग्न है।

अधिसूचना के अंश नीचे दिए गए हैं:

- निम्नलिखित को पूर्व पुष्टिकरण प्रणाली से बाहर रखा गया है: प्राथमिक उत्पाद जैसे कृषि उत्पाद और पशुधन और मत्स्य उत्पाद, साथ ही साथ उनके सरल संसाधित उत्पाद (सरल संसाधित उत्पादों का अर्थ ऐसे उत्पाद होंगे जो सरल प्रसंस्करण से गुजर चुके हैं जैसे कि डी-स्किनिंग, श्रेडिंग, कुचलना, हल्का नमकीन बनाना, सुखाना, आदि, कटे और छिलके वाले उत्पाद, और जमे हुए उत्पाद, आदि) और खाद्य, आदि जो खाद्य स्वच्छता कानून के अनुच्छेद 26, पैरा 2 व 3 के तहत निरीक्षण आदेश के अधीन (2018 का कानून संख्या 46)।

- अपवर्जन के आधार पर, यह पता चला है कि साबुत मसाले, मसाला पाउडर, ऋष किए गए/फ्लेक्स जैसी वस्तुओं को छूट दी गई है, जबकि मसाला मिश्रण, अचार, मसाला तेल और तैलीय आदि के लिए पंजीकरण की आवश्यकता हो सकती है।
- पंजीकरण की वैधता की अवधि पंजीकरण की तिथि से तीन वर्ष होगी।
- पंजीकरण संख्या का विवरण: जब कोई निर्माता जापान को पंजीकृत भोजन का निर्यात करता है, तो फर्म निम्नलिखित विधियों में से एक द्वारा खाद्य की पंजीकरण संख्या को प्रमाणित करेगी:

क) पंजीकरण संख्या को कंटेनरों और खाद्य की पैकेजिंग आदि पर दिखाया जाएगा।

ख) निर्माता द्वारा तैयार पंजीकरण संख्या को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज परेक्षण से संलग्न होंगे।

ग) पंजीकरण संख्या को अन्य सत्यापन योग्य माध्यमों से प्रमाणित किया जाएगा।

पूर्व पुष्टिकरण (संलग्न) पर प्रणाली की रूपरेखा को पूर्व पुष्टिकरण/नवीनीकरण आदि के लिए आवेदन के विवरण के लिए देखा जा सकता है। इसके अलावा, निर्यातक जापानी खरीदारों से पूर्व पुष्टिकरण प्रणाली पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने पर विचार कर सकते हैं, ताकि परेक्षण के समाशोधन में संभावित कठिनाइयों से बचा जा सके।

इस संबंध में, मसालों और मसाला उत्पादों के सभी निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि वे जापान सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और विशिष्टताओं का अनुपालन सुनिश्चित करें और देश में मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात करते समय उचित सावधानी बरतें ।

(ह.)

**निदेशक (विपणन)**

सेवा में,

मसाले और मसाला उत्पादों के सभी निर्यातक

(फाइल नंबर से जारी: एमकेटी-क्यूआर-जेएपी/0001/2021-मार्केटिंग - 17245)